समक्ष माननीय सदस्य महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल कैम्प भोपाल

प्र.क्र. निगरानी–807-TC/15

अब्दुल हमीद खां आ0 लियाकत खां
निवासी मोहल्ला रकावगंज सिरोंज
जिला विदिशा म0प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

बादशाह आ0 छुट्टु खां
निंवासी मोहल्ला रकावगंज सिरोंज
जिला विदिशा म0प्र0 ....अनावेदक

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदक विद्वान आयुक्त भोपाल सभांग भोपाल द्वारा उनके प्रकरण क0 534/अपील/10–11 में पारित आदेश दिनांक 21/01/2015 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है ।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक ने अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष के आवेदन प्रस्तुत करते हुए अपने स्वत्व एवं स्वामित्व कि भूमि खसरा क0 2334/2 रकवा 0.076 में आने जाने के लिये आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व कि भूमि खसरा क0 2334/3 में 20 फीट चौडा रास्ता दिलाये जाने के साथ ही साथ रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अकिंत करने का निवेदन किया गया । अधिनस्थ तहसील न्यायालय ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज करने के उपरान्त आवेदक को प्रकरण के संबंध में सूचना पत्र जारी किया गया। जानकारी प्राप्त होने पर आवेदक ने अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अनावेदक द्वारा उसके आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये जवाब प्रस्तुत किया गया । परन्तु अधिनस्थ तहसील न्यायालय ने प्रकरण में नियमानुसार साक्ष्य लिपिबद्ध किये विना ही अनावेदक को आवेदक कि भूमि में से रास्ता दिये जाने के आदेश दिये । अधिनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित करने के आदेश दिये । तहसील न्यायालय ने प्रत्यावर्तित प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त करने के आदेश दिये । अधिनस्थ तहसील

R 807-A/15 जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-10-17	पूर्व पेशी पर आवेदक के अभिभाषक ने 7 दिवस में लेखी बहस प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया था, किन्तु लेखी बहस अप्राप्त है। अनावेदक के अभिभाषक ने प्रकरण में पैरबी न करने की इच्छा जताई है, किन्तु न्यायदान की दृष्टि से प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर किया जा रहा है। 2/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसील न्यायालय में रास्ते के विवाद को लेकर प्रकरण चला है जिसमें अनावेदक व्दारा तहसील में दायर कराया गया प्रकरण क्रमांक **2/अ–13/05–06** आदेश दिनांक **10–9–10** से निरस्त किया गया है जिसकी अपील क्रमांक **4/2010–11** अनुविभागीय अधिकारी विदिशा के समक्ष होने पर आदेश दिनांक **28–7–11** से तहसीलदार का आदेश निरस्त कर पुनः जांच एंव सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश को अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल ने प्रकरण क्रमांक **534/2010–11** अपील में पारित आदेश दिनांक **21–1–15** से यथावत् रखा है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के अवलोकन से स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी विदिशा के आदेश दिनांक **28–7–11** से पुर्नजांच एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्नन स्वरूप दोनों पक्षों को पक्ष प्रस्तुत करने एंव बचाव प्रुस्तत करने का अवसर प्राप्त है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप उचित नहीं है। फलतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। सदस्य	

शाक्षेमुग्वा—355—फॉर्म्स—3-2-16—30,000 प्रपत्र.